निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 21/अपील/18 तारीख दायरा 04.04.2018

उनवान अपील

कमला बाई पत्नी माधोलाल जाति मेघवाल नि0 खारपाकंला तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम

01. मायाबाई पत्नी चंन्दर जाति बलाई नि0 खारपाकलां तहसील पिड़ावा
02. तहसीलदार पिड़ावा
03. राजस्थान सरकार जर्ये पेरोकार (विपक्षी)

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 16.02.2018 तहसीलदार पिड़ावा प्रकरण संख्या 08/2016 बउनवान कमलाबाई बनाम मायाबाई अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट

उपस्थितः— श्री औंकारेश्वरम् शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री फिरोज अहमद अभिभाषक रेस्पो0
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांकः 22.05.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 16.02.2018 जो मिसल न0 08/2016 पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी के तहत पारित किया जाकर ग्राम खारपाकंला की आराजी ख0न0 671 व 974/683 की भूमि पर से बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विपक्षी माया बाई ने उपरोक्त आराजी पर अपीलान्ट का जबरन कब्जा बताकर बेदखल करने की मांग की गई। इस पर तहसीलदार पिड़ावा ने अपने निर्णय दिनांक 16.02.2018 से अपीलान्ट को आराजी से बेदखल करने और 135 रूपये पेनल्टी से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी पक्ष के बयान दर्ज नही किये है । अपीलान्ट के मृतक पति ने उक्त आराजी खरीद करी है । दोनो पक्ष अनु0जाति के हैं इसलिये धारा 183 बी के प्रावधान लागू नही होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की और से अभिभाषक श्री फिरोज अहमद व पेरोकार सरकार उपस्थित हुए ।

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विपक्षी माया बाई ने उपरोक्त आराजी पर अपीलान्ट का जबरन कब्जा बताकर बेदखल करने की मांग की गई। इस पर तहसीलदार पिड़ावा ने अपने निर्णय दिनांक 16.02.2018 से अपीलान्ट को आराजी से बेदखल करने और 135 रूपये पेनल्टी से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी पक्ष के बयान दर्ज नही किये है । अपीलान्ट के मृतक पति ने उक्त आराजी खरीद करी है । दोनो

जिला कलक्टर
झालावाड़

पक्ष अनु0जाति के हैं इसलिये धारा 183 बी के प्रावधान लागू नही होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया कि रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किये जाने पर इस बाबत प्रा0पत्र तहसील पिड़ावा में प्रस्तुत करने पर ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रकरण में आराजी की जांच पटवारी हल्का से कराई जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो सही है अपील खारिज की जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार द्वारा विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न इकरारनामें की प्रति जो प्रमाणित भी नही है में ख0न0 681 की 2बीघा 7 बिस्वा व ख0न0 683 की 03 बीघा आराजी बाबत है। इकरार नामा होने के उपरान्त ही उक्त आराजी के सहखातेदार द्वारा अपना 2/3 हिस्सा कमला बाई को जर्ये रजिस्टर्ड बेचान पत्र के बेचान किया गया है । रेस्पो0 माया बाई जो उक्त आराजी के सहखातेदार चन्दर(मृतक) की बेवा है जिसका उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा था । अपने 1/3 हिस्से पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा कर लिये जाने पर ही तहसीलदार के समक्ष प्रा0पत्र प्रस्तुत कर उनके द्वारा अनुतोष प्राप्त किया गया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी में स्पष्ट किया गया है इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में कुछ भी बात होते हुए भी वह अतिक्रमी जिसने अनुसुचित जाति अथवा अनुसुचित जन जाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाये रखा है,उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर, जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हों ,बेदखली का दायी होगा। इस प्रकार तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अनुसुचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर से बेदखली का जो आदेश दिया गया है उचित है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर अपील के माध्यम से अपीलान्ट को किसी भी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे तथा यह पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड